

**XXXIX (a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला-शहडोल.

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.2351-दो / 15

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों आदि  
के हस्ताक्षर

स्थान तथा  
दिनांक

24-7-15

आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप.। उन्होंने रेस्टोरेशन  
आवेदन प्रस्तुत किया।  
प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ।

(M)  
सदस्य

31-8-15

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार  
किया। विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए  
कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक आर 1842-दो / 06  
पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड है।

(M)  
सदस्य

28/08/2015

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
विधि प्रकरण क्रमांक / 2015 नंबर - २१८६४

ग्रामीण, अद्युत ०२३५।-॥-१५  
ग्राम आठ ०१।-२५।-१५ को  
प्रस्तुत  
२५।-१५

राम २१२८।

— आवेदक

विरुद्ध

२५।-१५।

— अनावेदक

ज्ञानकारी  
२५।-१५।

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्भित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक १८२३।०५ माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक २५।६।१५ को नियत था।
- 2 यह कि नियत दिनांक २५।६।१५ को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को २५।६।१५ को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को ए में खारिज प्रकरणों की रूची सूचना फलक/बोर्ड पर चर्खा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुण-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक १८२३।०५ पुनः स्थापित कर गुण-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।